

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25092021-229940
SG-DL-E-25092021-229940

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2021/आश्विन 2, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 183
No. 273]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021/ASVINA 2, 1943	[N. C. T. D. No. 183

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

सं. फा. 3/07/हेस्मा/2016/गृह पुलिस-II/2152-63.—जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली के लोगों के जीवन के लिए आवश्यक सेवाएं हैं और यह आवश्यक और समीचीन है कि ऐसी सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया जाये।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.1993 की अधिसूचना सं. जी एस आर 526(ई) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 खण्ड - (ii) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपर्युक्त सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के कर्मचारियों, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं प्रदान करते हैं, द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप सचिव (गृह-IIबी)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th September, 2021

No. F. 3/07/HESMA/2016/HP-II/2152-2163.—Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that the services of Ground Handling at Indira Gandhi International Airport, Delhi are essential services for life of the people of the National Territory of Delhi and it is necessary and expedient to declare such services as essential services.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 clause (ii) read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526 (E) dated 30.7.93, hereby declares the above said services as essential services and prohibits the strike by the employees of Delhi International Airport Ltd. who provide the services of ground handling at Indira Gandhi International Airport, Delhi, for a period of six months with effect from date of issuance of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-IIB)